HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए धोखाधड़ी के अभियोग में एक अभियुक्त को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 17.07.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "धोखाधड़ी" के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्त संदीप पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दोयमी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा निरस्त पट्टे का फर्जी तरीके से कब्जा कर विक्रय करना, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 300/2013 धारा 420, 467, 468, 471, 447 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.03.14 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 17.07.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ACJM हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 मेघ सिंह एवं पैरोकार है0का0 दिनेश व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 मनीपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।